an>

Title: Regarding services to the families of Indian Origin staying abroad.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रवासी भारतीयों की कुछ मुश्किलें हैं, जिन्हें मैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेशी मामलों के मंत्रालय के सामने रखना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों कनाडा और यूएसए गया था। वहां हजारों लोग ऐसे हैं, जिन्हें हमारी ऐम्बेसी की ओर से पासपोर्ट्स इश्यु नहीं हो रहे हैं। आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि वहां माननीय प्रधान मंत्री जी गये थे, उन्होंने वहीं पर बहुत सारी मुश्किलों का समाधान ढूंढा और उन्हें हल किया। किंतु बहुत सारी मुश्किल ऐसी थीं, जिनका समाधान करने का उन्होंने वायदा किया था। यह पासपोर्ट का मामला है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इल्लीगल मीन्स से वहां जाते हैं और वहां एक कानून है कि जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता है, उसे वे पोलिटिकल शरण दे देते हैं, जिसे राÂट्रीय शरण कहते हैं। उन लोगों को राÂट्रीय शरण तो मिल गई है, लेकिन वे अब अपने देश में अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं, यहां इनवैस्टमैन्ट करना चाहते हैं। परंतु हमारी भारत सरकार का कानून उन्हें आने नहीं देता है। जबकि उनके विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं हैं।

इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि उन लोगों के पासपोर्ट जारी करने के लिए भारत सरकार कानून में अमैंडमैन्ट करें, ताकि वे अपने परिवार और अपने बच्चों के पास आ सकें और यहां निवेश भी कर सके।

इसके अलावा जो कांसुलेट जनरल के आफिसेज हैं, वे विदेशों में बहुत दूर-दूर हैं। जैसे एल.ए. के लोग हैं, उन्हें हजारों मील दूर स्थित दफ्तर में जाना पड़ता है। इसी तरह से डेनबर्ग के लोगों को 1500 मील दूर स्थित कांसुलेट जनरल के आफिस में जाना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है कि वहां सब-ऑफिस बनाये जाएं, जिससे कि वे अपनी समस्या का हल ढूंढ सकें।

इसके अलावा कुछ लोगों की ब्लैक लिस्ट बनी हुई है, लेकिन उनके ऊपर कोई केस नहीं है, इसलिए ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए। जिनके ऊपर एक भी केस नहीं हैं, उनकी ब्लैक लिस्ट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को वहां से अपने देश में वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए ब्लैक लिस्ट को तुरंत खत्म किया जाए। धन्यवाद।